

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला विकास शाखा)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

पत्रांक.....वि०

सेवा में,

सहायक प्रबंधक,
बिहार राज्य खाद्य निगम,
मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज।

मधेपुरा, दिनांक.....2015

विषय:- मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के चतुर्थ त्रैमास का खाद्यान्न का उपावंटन।
प्रसंग:- निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 62 दिनांक 13.01.2015 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक NO.5-1/2014-Desk(MDM) दिनांक 08.09.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार से खाद्यान्न प्राप्त के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2014-15के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक) का औसत लाभांवित के आधार पर सरकार से प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत एवं जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, के पत्रांक 18 (उच्च) दिनांक 16.01.2015 से प्राप्त माँग पत्र के आलोक में मधेपुरा के सभी प्रखंडों में स्थित विद्यालयों में वर्ग 1 से वर्ग V एवं VI से वर्ग VIII तक में अध्यनरत छात्र/ छात्राओं के लिए खाद्यान्न प्राप्त के पश्चात् माह जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक चतुर्थ त्रैमास का प्रखंडवार निम्नांकित विवरणी के अनुसार कुल 19770-10 (उन्नीस हजार सातः सौ सत्तर वर्चीटल दस कि० ग्रा०) अतिरिक्त खाद्यान्न उपावंटित किया जाता है :-

| क्र० | प्रखंड का नाम | वर्ग I से वर्ग A के लिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा (क्वी०में) | | | वर्ग A। से वर्ग A III के लिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा (क्वी०में) | | | कुल आवंटित खाद्यान्न(क्वी० में) (5+8) |
|-------|---------------|---|-----------|----------------|--|-----------|----------------|---------------------------------------|
| | | छात्रों की सं० | प्रति माह | तीन माह के लिए | छात्रों की सं० | प्रति माह | तीन माह के लिए | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 1 | आलमनगर | 31100 | 388.75 | 1166.25 | 13000 | 250.90 | 752.70 | 1918.95 |
| 2 | बिहारीगंज | 19800 | 247.50 | 742.50 | 8700 | 167.91 | 503.73 | 1246.23 |
| 3 | चौसा | 27000 | 337.50 | 1012.50 | 12000 | 231.60 | 694.80 | 1707.30 |
| 4 | गम्हरिया | 13400 | 167.50 | 502.50 | 5000 | 96.50 | 289.50 | 792.00 |
| 5 | धैलाढ़ | 16200 | 202.50 | 607.50 | 5800 | 111.94 | 335.82 | 943.32 |
| 6 | गवालपाड़ा | 23000 | 287.50 | 862.50 | 10000 | 193.00 | 579.00 | 1441.50 |
| 7 | कुमारखंड | 44000 | 550.00 | 1650.00 | 14000 | 270.20 | 810.60 | 2460.60 |
| 8 | मधेपुरा | 35000 | 437.12 | 1312.35 | 16000 | 306.00 | 918.00 | 2230.35 |
| 9 | मुरलीगंज | 36000 | 450.00 | 1350.00 | 16000 | 308.80 | 926.40 | 2276.40 |
| 10 | पुरैनी | 17600 | 220.00 | 660.00 | 7500 | 144.75 | 434.25 | 1094.25 |
| 11 | शंकरपुर | 17200 | 213.00 | 639.00 | 4800 | 92.64 | 277.90 | 916.90 |
| 12 | सिंहेश्वर | 19400 | 243.00 | 729.00 | 8500 | 164.05 | 268.30 | 997.30 |
| 13 | उदाकिशुनगंज | 31000 | 389.00 | 1166.00 | 10000 | 193.00 | 579.00 | 1745.00 |
| योग:- | | 330700 | 4133.37 | 12400.10 | 1313.00 | 2531.29 | 7370.00 | 19770.10 |

P

1. विभागीय अद्यतन निदेश के आलोक में राज्य खाद्य निगम के गोदाम से संबंध विद्यालय केन्द्र तक खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा सुनिश्चित करायेंगे। इस कार्य में किसी भी प्रकार के व्यतिरेक/ व्यवधान के लिए उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
2. इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदामों से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय अनुमान्य होगा
3. राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न के उठाव की सूचना प्रत्येक माह की 07 वीं तारीख तक राज्य स्तर पर एवं अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

अतः निदेश है कि संबंधी प्रखंड को उपावृत्त खाद्यान्न ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन
६०

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक...३४.२.../वि०, मधेपुरा, दिनांक...२७/०१/...२०१५

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिथुनगंज, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा एवं जिला कार्यक्रम पदा०, शिक्षा विभाग, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त योजना के सतत् पर्यवेक्षण हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, योजना मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 62 दिनांक 13.01.2015 में निहित निदेश के आलोक में तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि सहायक प्रबंधक से नियमित समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण आवृत्त खाद्यान्न का उठाव एवं शत प्रतिशत उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अगली माह की 10 वीं तारीख तक उपलब्ध करायेंगे, इसके निमित्त आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।

प्रतिलिपि : जिला प्रबंधक / क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

| क्र.सं. | नाम | पद | सूचना | दिनांक | स्थिति |
|---------|-----|-----|-------|--------|--------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... |

सूचना विभाग अधिकारी
NJC मधेपुरा

25/1/15
जिलाधिकारी
मधेपुरा।